



2026:AHC:127358

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 19868 वर्ष 2026

तिलकराम..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य..... प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : प्रभात पांडे

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 45

माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री प्रभात पांडे और उत्तर प्रदेश राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. प्रस्तुत जमानत याचिका जिसमें केस अपराध संख्या-851 वर्ष 2025 में बी.एन.एस., 2023 की धारा 191(2), 191(3), 103(1) और आर्म्स एक्ट की धारा 4/25, थाना फरीदपुर, जिला- बरेली के तहत जमानत पर रिहा करने की मांग की गई है, दायर की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका कथित अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। प्रारंभ में, धारा 103(1) बी.एन.एस. के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, हालांकि, विवेचनाधिकारी ने उचित जांच के बाद पाया कि मृतक की हत्या किसी व्यक्ति द्वारा नहीं की गई थी, बल्कि उसने आत्महत्या कर ली थी। इसलिए उन्होंने धारा 108 बी.एन.एस. के तहत चार्जशीट दाखिल की। हालांकि, संबंधित अदालत ने धारा 103(1) बी.एन.एस. के तहत संज्ञान लिया और आवेदक के खिलाफ कार्रवाई की। गवाह सुरजीत के बयान के अनुसार, मृतक ने खुद आत्महत्या कर ली थी और आत्महत्या से पहले,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक और अन्य सह-आरोपियों द्वारा उस पर हमला किया गया था। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि इसी तरह के सह-अभियुक्तों, अर्थात् समेंद्र @ सोमेंद्र सिंह, गिरीश और परमवीर को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा क्रमशः आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-14568 वर्ष 2026, 13012 वर्ष 2026 और 16081 वर्ष 2026 में पारित आदेश दिनांक 30.04.2026, 20.04.2026 और 12.05.2026 के माध्यम से जमानत दे दी गई है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 27.10.2025 से जेल में है।

4. दूसरी ओर, अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया, हालांकि, वह इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके कि समान रूप से स्थित सह-अभियुक्त, अर्थात् समेंद्र @ सोमेंद्र सिंह, गिरीश और परमवीर को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा जमानत दी गई है।

5. मैंने पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अभिलेखों पर लाई गई सामग्री का अवलोकन किया है।

6. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान रूप से स्थित सह-अभियुक्तों, अर्थात् समेंद्र @ सोमेंद्र सिंह, गिरीश और परमवीर को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत दे दी गई है और उन्होंने आदेशों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द या रोक नहीं दी गई है, और आवेदक 27.10.2025 से जेल में बंद है, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।

7. जमानत आवेदन की अनुमति है।

8. आवेदक- **तिलकराम**, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और समान राशि में दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।



(i) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि को कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त की चूक के मामले में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार आदेश पारित किया जाएगा।

(ii) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। उसकी अनुपस्थिति के मामले में, पर्याप्त कारण के बिना, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क/बी.एन.एस. के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और धारा 82 द०प्र०स०/84 बी.एन.एस.एस. के तहत अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तारीख को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 174-क के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 209 के तहत भारतीय दंड संहिता (भ०द०वि०) की धारा 174-क के तहत भारतीय दंड संहिता (भ०द०वि०) के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए के तहत भारतीय दंड संहिता (भ०द०वि०) के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 174 के तहत उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक (1) मामले को खोलने, (2) आरोप तय करने और (3) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313/351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए इस तरह की चूक को जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत को रद्द करने का आधार होगा।



10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

15 जून 2026

कीर्ति

Translated Version. Not for Legal Use.